उत्तराखण्ड
पर्यटन

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्
निकट -ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड
गढीकैन्ट, देहरादून- 248001
दूरभाष- 0135-2559898 फैक्स-2559988

संख्याः 6925/2–7–594/2016–17 दिनांकः 23 मार्च, 2017

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम 2001 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12 वर्ष 2001 दिनांक 28.01.2011) की धारा 7 एवं 8 में प्रदत्त कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड स्थानीय पर्यटक गाइड दिशा–निर्देश को निम्नवत बनाए जाते हैं :–

उत्तराखण्ड स्थानीय पर्यटक गाइड सम्बन्धी दिशा–निर्देश–2017

पर्यटन गाइड, पर्यटन की वह कड़ी है जिसके माध्यम से पर्यटकों को विभिन्न पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों व पर्यटक की विभिन्न विधाओं की जानकारी एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है। साथ ही गाइड के माध्यम से प्रदेश एवं देश की छवि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी बन सकती है। इस प्रकार गाइड भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की अवस्थापना आवश्यकताओं की मूलभूत कड़ी है।

1– उद्देश्य

स्थानीय पर्यटक गाइड का चयन एवं प्रशिक्षण आदि किये जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् होगाः–

(1) भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों को पर्यटन सम्बन्धी जानकारी सही तरीके से उपलब्ध कराना।

(2) प्रदेश की पर्यटन सम्बन्धी जानकारियों का प्रचार–प्रसार किया जाना।

(3) पर्यटन के विकास को स्थानीय गाइड के माध्यम से अधिक क्षमतावान करना।

(4) प्रदेश एवं देश की समृद्ध, संस्कृति, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक एवं विरासत और अन्य पर्यटन आकर्षण सम्बन्धी व्यापक जानकारी पर्यटकों को उपलब्ध कराना।

(5) प्रदेश में आने वाले स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि का प्रयास करना।

(6) प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना।

2– परिभाषा

टूरिस्ट गाइड– वह व्यक्ति जो सक्षम विभागों द्वारा इस हेतु प्राधिकृत है कि वह पर्यटकों को सरल भाषा में स्थान विशेष की सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक धरोहरों, साहसिक पर्यटन आदि एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करता है एवं इस हेतु उसके पास विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से दक्षता होती है।

[illegible]
संयुक्त निदे[illegible], [illegible]र्यटन

3– सामान्य

(1) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय गाइड हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिये विज्ञप्ति/ विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

(2) चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण आदि भारतीय पर्यटन प्रबन्ध संस्थान (भारत सरकार का प्रतिष्ठान) ग्वालियर अथवा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा चयनित संस्थान के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों में किया जायेगा।

(3) आवेदकों का चयन योग्यतानुसार प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर किया जायेगा।

(4) उक्त विज्ञापन के सापेक्ष जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना, स्क्रीनिंग करना, चयन करना, प्रशिक्षण करवाना एवं सफल अभ्यर्थियों की सूची परिषद मुख्यालय प्रेषित करने का कार्य सम्पन्न किया जायेगा।

(5) तत्पश्चात लाइसेन्स जारी करने का कार्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद मुख्यालय स्तर पर सम्पन्न किया जायेगा।

(6) इच्छुक आवेदक को उत्तराखण्ड का मूल/ स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

4– शैक्षणिक योग्यता

(1) सभी अभ्यर्थियों हेतु हिन्दी/अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा।
(2) 10+2 या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता।
(3) विज्ञापन की तिथि तक आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो।
(4) स्थानीय भाषा/बोली की जानकारी रखता हो।
(5) समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक एवं विरासत तथा अन्य पर्यटन आकर्षण सम्बन्धी जानकारी आवश्यक।

5– प्रशिक्षण कार्यक्रम

(1) चयनित गाइडों का दो सप्ताह (10 दिवसीय) अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जायेगा।
(2) आर0पी0एल0 / रिफ्रेशर कोर्स हेतु आवश्यकतानुसार उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा निर्धारित कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।
(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम संस्था द्वारा तैयार किया जायेगा जिसकी संस्तुति उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद से प्राप्त करनी होगी।
(4) प्रशिक्षण मुख्यतः निम्न विषयों पर केन्द्रित किया जायेगा:–

(क) व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर संवाद क्षमता का विकास, व्यक्तित्व विकास, सामान्य शिष्टाचार टेलिफोन से वार्ता करना, निर्णय करने की क्षमता, ग्रुप डिस्कसन आदि।

(ख) ट्रैवल, टूरिज्म व हास्पिटेलिटी की मूलभूत जानकारी, राजकीय पर्यटन संगठन की जानकारी, पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग, भारतीय रेल, वायुयान उद्योग एवं पर्यटन नीति आदि की जानकारी।

(ग) पर्यटन स्थलों एवं आकर्षणों की जानकारी।

(घ) स्थानीय लोक संस्कृति, लोकगीत, योग, साहसिक पर्यटन, इको–टूरिज्म, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जानकारी आदि।

(ड.) पर्यटन स्थलों/आकर्षणों ट्रेवल एजेण्ट, टूर ऑपरेटर, होटल, पर्यटन कार्यालय आदि का भ्रमण के माध्यम से प्रायोगिक जानकारी।

6– अन्य

(1) कम से कम अस्सी प्रतिशत उपस्थिति कक्षा में अनिवार्य होगी। उन्हीं को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।

(2) प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात 100 अंकों की लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली जायेगी तथा इसमें उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने आवश्यक है।

(3) उत्तीर्ण अभ्यर्थी को निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन करना होगा।

(4) लाइसेन्स के रूप में गाइड को 05 वर्ष हेतु फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) प्रत्येक पांच वर्ष बाद, लाइसेन्सधारी गाइडों द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को सीधे अपना लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु भेजना होगा। लाइसेंस नवीनीकरण के समय किसी भी प्रकार की शिकायत होने अथवा न होने का घोषणा पत्र भी प्रदान करना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

(6) गाइड का लाइसेन्स/परिचय पत्र खो जाता है या किसी अन्य कारण से नष्ट हो जाता है तो उसे तत्काल इसकी सूचना स्थानीय थाने एवं स्थानीय पर्यटन कार्यालय अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को अनिवार्य रूप से देनी होगी। मु0का0अ0 द्वारा संतुष्ट होने पर परिचय पत्र हेतु रूपया 100/– (रूपया एक सौ मात्र) का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

7– कार्यक्षेत्र

लाइसेन्स प्राप्त, स्थानीय गाइड उत्तराखण्ड के सम्बन्धित स्थल जिसका उल्लेख किया गया हो, में ही कार्य कर सकेगा।

8– आवेदन एवं प्रशिक्षण शुल्क

आवेदन शुल्क एवं प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण शुल्क में परीक्षा शुल्क एवं गाइड लाइसेन्स/परिचय पत्र का शुल्क भी सम्मिलित होगा।

9– गाइड फीस

परिषद स्तर पर समय–समय पर गाइड फीस निर्धारित की जायेगी। तद्नुसार ही गाइड द्वारा पर्यटकों से शुल्क लिया जायेगा।

10– स्थानीय गाइडों हेतु नियम व शर्तें

(1) स्थानीय गाइड के पास उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र होना आवश्यक है, जो कि अहस्तान्तरणीय होगा। परिचय पत्र न होने की स्थिति में उसका गाइड लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) परिचय पत्र खोने की स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन तथा पर्यटन कार्यालय में शिकायत दर्ज करनी होगी। दर्ज शिकायत के आधार पर उसे नया परिचय पत्र प्रदान किया जायेगा, जिसके लिये उसे परिचय पत्र हेतु निर्धारित शुल्क अतिरिक्त रूप से जमा करना होगा।

(3) परिचय पत्र की सुरक्षा हेतु वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(4) उच्च अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग किये जाने पर अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) स्थानीय गाइड द्वारा किसी भी देशी / विदेशी पर्यटक से किसी भी प्रकार की धनराशि/ उपहार की मांग नहीं की जायेगी। ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्थानीय गाइड द्वारा अपनी परम्परा एवं पेशे के अनुसार उचित परिधान पहनना अपेक्षित है।

(7) स्थानीय गाईड किसी भी संस्थान का नियमित कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

(8) स्थानीय गाइड पर्यटकों को केवल पर्यटन स्थलों में ही भ्रमण करवायेगा किसी भी स्थिति में गाइड पर्यटकों को किसी भी विक्रेता के पास जाने हेतु बाध्य नहीं करेगा। यदि कोई गाइड यह कार्य करता हुआ पाया गया तो विभाग द्वारा उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

(9) यदि गाइड पर्यटकों द्वारा खरीदी गयी किसी भी वस्तु पर स्थानीय विक्रेताओं से धनराशि/कमीशन की मांग करता है तथा विभाग के संज्ञान में यह तथ्य आने पर उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

(10) गाइड बिना कोई उचित कारण बताये, राज्य/केन्द्र सरकार /पर्यटन कार्यों से जुडे अन्य संस्थानो के द्वारा दिये गये कार्यों हेतु मना नहीं कर सकता है। एक सीजन में लगातार तीन बार कार्य लेने से मना करने पर विभाग द्वारा उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

(11) गाइड से यह अपेक्षित है कि उसका आचरण पर्यटकों तथा विभागीय अधिकारी या कर्मचारी जिनके सम्पर्क में वह आता है, के साथ उत्तम रहे।

(12) गाइड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करनी होगी जिसमे उसके द्वारा वर्ष में किये गये पर्यटन सम्बन्धी कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(13) गाइड को उन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना होगा, जो विभाग के माध्यम से/दिशा निर्देश के अनुसार समय–समय पर संचालित करवाये जायेंगे।

(14) विभाग द्वारा गाइड से फिटनेस सम्बन्धी प्रमाण पत्र मांगे जाने पर गाइड द्वारा इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(15) गाइड विदेशी पर्यटकों को उन स्थानों के फोटोग्राफ लेने से रोकेगा जो भारतीय छवि को धूमिल करती हैं या जिन स्थानों के फोटोग्राफ्स लेना कानून द्वारा प्रतिबन्धित है।

(17) यदि गाइड के खिलाफ किसी भी पर्यटक के द्वारा विभाग को शिकायत दर्ज करवायी जाती है तो विभाग द्वारा गाइड को एक चेतावनी पत्र प्रेषित किया जायेगा इस पत्र के प्रस्तुत किये जाने के 30 दिनों के भीतर गाइड को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

AM.

उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने की दशा में गाइड का लाइसेंस विभाग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(18) गाइड द्वारा केवल उन्ही क्षेत्रों के पर्यटन सम्बन्धी कार्य स्वीकार किये जायेंगे जिन क्षेत्रों के लिए विभाग द्वारा उन्हें लाइसेंस प्रदान किया गया है।

(19) यदि गाइड लगातार 2 वर्षो तक गाइडिंग प्रोग्राम से स्वास्थ्य या अन्य कारणों से दूर रहता है तो उससे यह अपेक्षित है कि वह स्वतः ही अपना लाइसेंस विभाग को समर्पित कर दे।

(20) गाइड को वह सभी नियम और कानून मानने होंगे जिन पर समय–समय पर विभाग द्वारा परिवर्तन किया जायेगा इन्हें न मानने की दशा में उसका लाइसेंस विभाग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(21) गाइड को उन स्थानों में जाने का उचित शुल्क देना होगा जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा प्रतिबन्धित स्थानों पर रखा गया है तथा भ्रमण शुल्क निर्धारित किया गया है तथा गाइड द्वारा उस साइट के इन्चार्ज द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।

(22) किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर पर्यटन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

(शैलेश बगौली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. मैसर्स वेबलाइन इन्फोसॉफ्ट प्रा0लि0 देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. लोक सूचना अधिकारी/गार्ड फाइल।

(शैलेश बगौली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थानीय गाइड हेतु आवेदन पत्र

तीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चस्पा करें।

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता / पति का नाम..
3. लिंग .... पुरूष / स्त्री..
4. जन्मतिथि..
5. स्थाई पता..

....

....

6. पत्राचार पता..

....

....

7. दूरभाष / मोबाइल / ई–मेल..
8. शैक्षिक योग्यता

कक्षा	संस्था / बोर्ड का नाम	वर्ष	श्रेणी	विषय	प्राप्तांक (% में)
हाईस्कूल					
इण्टरमीडिएट					
स्नातक					
अन्य					

9. स्थानीय / अन्य भाषा का ज्ञान..
10. मूल / स्थाई निवास प्रमाण पत्र..
11. डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 | | | | | | |
12. दिनांक.. ....
13. बैंक का नाम व पता..

घोषणाः

मैं यह घोषणा करता / करती हूं कि मैंने उत्तराखण्ड स्थानीय पर्यटक गाइड सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लिया हैं तथा दिये गये नियम व शर्तों का पालन करूंगा / करूंगी।

2. मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनायें सत्य एवं सही है।

3. मैं यह भी घोषणा करता / करती हूं कि किसी भी प्रकार की गलत सूचना पाये जाने पर विभाग मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने के लिये सक्षम होगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इस हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा / होऊंगी।

स्थानः हस्ताक्षर

दिनांकः नाम